उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण

(यूपीडा)

बोर्ड की 34वीं बैठक

दिनांक 25.10.2017 की कार्यवृत्त।

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण
सी–13, पर्यटन भवन, द्वितीय तल, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010
0522. 2307592, 2307542 4108184 फैक्सः 0522.4013560

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण

(यूपीडा)

बोर्ड की 34वीं बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 17.10.2017 को परिचालन के माध्यम से विचारार्थ एजेण्डा बिन्दु–1 (हडकों से ऋण विषयक)

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण
सी–13, पर्यटन भवन, द्वितीय तल, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010
0522. 2307592, 2307542 4108184 फैक्सः 0522.4013560

यूपीडा बोर्ड की 34वीं बैठक का कार्यवृत्त :-

एजेंडा बिन्दु सं० 1:

कार्यवाही / निर्णय: यूपीडा निदेशक मण्डल की 34वीं बैठक के लिए प्रस्तावित एजेंडा बिन्दु सं० 1 परिचालन के माध्यम से निदेशक मण्डल के समस्त सदस्यों के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। निदेशक मण्डल के निम्नवत पाँच सदस्यों ने एजेंडा बिन्दु सं० 1 के विस्तृत आलेख्य एवं उसमें निहित प्रस्तावों का दिनांक 17 अक्तूबर 2017 को अनुमोदन किया:-

1. श्री अवनीश कुमार अवस्थी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा० -अध्यक्ष
2. श्री संजीव मित्तल, प्रमुख सचिव वित्त एवं वित्त आयुक्त उ0प्र0 शासन -सदस्य
3. श्री मुकुल सिंहल, प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उ०प्र० शासन। -सदस्य
4. श्री सीताराम यादव, संयुक्त सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन। (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास) -सदस्य
5. श्री अभय कुमार, उप सचिव, लोक निर्माण, उ0प्र0 शासन (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, लोक निर्माण) -सदस्य

निदेशक मण्डल के उक्तानुसार बहुमत सदस्यों द्वारा उक्त अनुमोदन के पश्चात निम्नवत संकल्प पारित किया गया:-

"Board of Directors of UPEIDA, having perused the Agenda Note No. 1 placed before the Board of Directors through Agenda by Circulation on 17 October 2017, approved and passed the following Resolutions:-

a. "That the Government Orders as contained in the GOs No. 416 / 77-3-16-502 (M) dated 04 April 2016, No 2366 / 77-3-16-502 M / 2014 dated 26 December 2016 and No. 1109 / 77-3-16-502M/ 2014 dated 07 June 2017 be and are being taken on record and due approval be and is accorded for the implementation of the Project as detailed in these G. O.s as also the action taken thereupon by UPEIDA from time to time."

b. "That the offer of grant to UPEIDA a loan not exceeding Rs 1179.00 crore from Housing & Urban Development Corporation (HUDCO) on the terms and

conditions as contained in their Loan Sanction Letter No. HUDCO/LRO/SCH-21191/2017/917 dated 06 October 2017 received from HUDCO (copies of which duly signed by the Chief Executive Officer and Chairman of the Board, for the purpose of identification, have been circulated as a part of agenda placed before the Board) be and is hereby accepted."

c. "That the aforesaid borrowing from HUDCO is within the borrowing limits and is in accordance with the State Government approvals and does not contravene any provisions of The Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976 or any limitations imposed under any regulation(s)."

d. "That the Chief Executive Officer, be and is authorised on behalf of UPEIDA, to convey to HUDCO the acceptance of the said offer of loan on the terms and conditions contained in the above-referred loan sanction letter and agree to such changes and modifications in the said terms and conditions as may be suggested and acceptable to HUDCO from time to time, and execute such deeds, documents and other writings as may be necessary or required for this purpose. The Chief Executive Officer may also be authorised to affix the Seal / Common Seal of UPEIDA wherever required."

e. "That UPEIDA do borrow from HUDCO the said loan not exceeding Rs 1179.00 crore (Rupees one thousand, one hundred and seventy nine only) on the terms and conditions set out in the standard format of Loan Agreement, including its General Conditions for Loan in addition to the special terms and conditions in the sanction letter received from HUDCO (copies of which duly signed by the Chief Executive Officer and Chairman of the Board, for the purpose of identification, have been circulated as a part of agenda placed before the Board)."

f. "That the aforesaid standard formats of Loan Agreement and ESCROW Agreement be and are hereby approved and the Chief Executive Officer be and is hereby authorised to accept the same on behalf of UPEIDA with such modifications therein as may be necessary and acceptable to HUDCO, and finalise the same as also to open an Escrow account as required."

g. "That UPEIDA may execute the Loan Agreement and Escrow Agreement and furnish to HUDCO such securities as stipulated therein relating to the above-

mentioned loan within the period stipulated by HUDCO. UPEIDA shall be authorised to open and operate an Escrow Account as per the sanction."

h. "That the Chief Executive Officer be and is hereby authorised to execute the Letter / Deed of Undertakings to be given by UPEIDA as also any other document as required by HUDCO (as per the standard formats with such modifications as may be agreed to between HUDCO and UPEIDA)."

i. "That the Chief Executive Officer be and is hereby authorised to accept amendments to such executed loan agreement, escrow agreement, Letter / Deed of Undertakings to be given by UPEIDA and/or any other document as and when become necessary and to sign letters of undertakings, declarations, agreements, acknowledgement(s) and other papers which UPEIDA may be required to sign in relation to the aforesaid loan."

j. "It is further resolved to authorise the Chief Executive Officer of UPEIDA to approach the Government of Uttar Pradesh for various approvals needed from them in fulfilment of the requirements of complying with the terms and conditions of the Loan and, in accordance with the Government approvals so accorded, place the matter for Board's resolution from time to time as may be necessary."

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 17.10.2017 को एजेण्डा नोट के परिचालन के माध्यम से अनुमोदन द्वारा सम्पन्न हुई 34वीं बैठक के उपरोक्त कार्यवृत्त मेरे द्वारा, पत्रावली में दिनांक 17 अक्टूबर, 2017 को अनुमोदित किये गये हैं।

अवनीश कुमार अवस्थी, आई०ए०एस०
निदेशक मण्डल अध्यक्ष
एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
यूपीडा, लखनऊ०
17 अक्तूबर 2017

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण

(यूपीडा)

बोर्ड की 34वीं बैठक की कार्यवृत्त।

दिनांक 25.10.2017

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण
सी–13, पर्यटन भवन, द्वितीय तल, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010
0522. 2307592, 2307542 4108184 फैक्सः 0522.4013560

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 25.10.2017 को सम्पन्न हुई 34वीं बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित प्रतिभागियों ने भाग लिया :–

1. श्री अवनीश कुमार अवस्थी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा। —अध्यक्ष
2. श्री योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी, संयुक्त सचिव वित्त उ0प्र0 शासन, (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, वित्त) —सदस्य
3. श्री अभय कुमार, उप सचिव, लोक निर्माण, उ0प्र0 शासन (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, लोक निर्माण) —सदस्य
4. श्री मनोज कुमार मौर्य, अनु सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, आवास) —सदस्य
5. श्री टी0एन0 मिश्रा, अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 औद्योगिक विकास निगम, लि0 कानपुर। (प्रतिनिधि प्रबन्ध निदेशक) —सदस्य

विशेष आमंत्रीः–

1. श्री विश्वजीत राय, उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं वित्त नियंत्रक, यूपीडा।
2. श्री ए0के0 पाण्डेय, मुख्य अभियन्ता, यूपीडा।
3. श्री जे0पी0 सिंह, सलाहकार भू–अर्जन, यूपीडा।
4. श्री ओ0पी0 पाठक, विशेष कार्याधिकारी भू–अर्जन, यूपीडा।
5. श्री बी0सी0 तिवारी, विशेष कार्याधिकारी वन, यूपीडा।
6. श्री के0के0 सिंह विसेन, विशेष कार्याधिकारी, यूपीडा।
7. श्री एच0के0 चौहान, स्टाफ ऑफिसर, यूपीडा।
8. श्री एन0एन0 श्रीवास्तव, अधीक्षण अभियन्ता, यूपीडा।
9. श्री पी0एन0 टण्डन, प्रबन्धक (पर्यावरण), यूपीडा।
10. श्री एस0पी0 तिवारी, प्रबन्धक प्रशासन, यूपीडा।
11. श्री के0के0 गुप्ता, सलाहकार वित्तीय संस्थाए।
12. श्री पी0के0 तिवारी, (सलाहकार विधि), यूपीडा।
13. श्री विनोद लाल दास, ज्येष्ठ खनन अधिकारी, यूपीडा।

उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निदेशक मण्डल के सदस्यों का 33वीं निदेशक मण्डल की बैठक में स्वागत किया एवं एजेण्डा नोट पर बिन्दुवार चर्चा प्रारम्भ की गईः–

एजेण्डा बिन्दु संख्या0 1:–

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 26.09.2017 को सम्पन्न हुई 33वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि हेतु उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निदेशक मण्डल से अनुरोध किया गया।

कार्यवाही/निर्णयः– निदेशक मण्डल द्वारा 33वीं बैठक में प्रस्तुत कार्यवृत्त से अवगत होते हुए कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

एजेण्डा बिन्दु संख्या0 2:–

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 26.09.2017 को सम्पन्न 33वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या से उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निदेशक मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया गया।

कार्यवाही/निर्णयः– निदेशक मण्डल द्वारा 33वीं (26.09.2017) बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या एजेण्डा नोट पृष्ठ 319–348 से अवगत होते हुये उक्त पर संतुष्टि व्यक्त की गई।

एजेण्डा बिन्दु संख्या0 3:–

उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने निदेशक मण्डल को अवगत कराया कि एजेण्डा बिन्दु–3 पर स्थापित प्रस्ताव जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हेतु भूमि क्रय के लिए हडको से लिए जा रहे ऋण से सम्बन्धित प्रस्ताव पर दिनांक 17.10.2017 को अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निदेशक मण्डल द्वारा परिचालन के माध्यम से अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है, जो एजेण्डा नोट पृष्ठ–35 से 44 पर अवलोकनीय है, पृष्ठ 44 पर निदेशक मण्डल के सदस्यों के अनुमोदन एवं हस्ताक्षर उपलब्ध है, हडको के ऋण सम्बन्धित प्रस्ताव पर कल दिनांक 24.10.2017 को कैबिनेट द्वारा भी अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

कार्यवाही/निर्णयः– निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा परिचालन के माध्यम से दिनांक 17.10.2017 को अनुमोदित कराये गये एजेण्डा बिन्दु–3 का सज्ञान लिया गया एवं पुष्टि की गई।

एजेण्डा बिन्दु संख्या0 4–

'आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना' पर निर्धारित स्थानों पर पेट्रोल पम्प की स्थापना के सम्बन्ध में उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया यह भी अवगत कराया कि उक्त प्रस्ताव पर दिनांक 24.10.2017 को प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास की अध्यक्षता में गठित मूल्यांकन समिति की बैठक में स्वीकृत किया जा चुका है एवं समिति द्वारा इस सम्बन्ध में E.O.I अपलोड़ करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है।

कार्यवाही/निर्णयः– निदेशक मण्डल के सदस्यों ने उक्त प्रस्ताव एवं कार्यवाही से अवगत होते हुये कृत कार्यवाही पर सहमति/संतुष्टि व्यक्त की गई।

एजेण्डा बिन्दु संख्या0 5:–

मा0 उच्च न्यायालय एवं उच्यतम् न्यायालय में प्रचलित वादों के विवरण।

कार्यवाही/निर्णयः– उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा यूपीडा के माननीय न्यायालय में प्रचलित वादों के सम्बन्ध में सदस्यों को अवगत कराया गया, पूर्व निदेशक मण्डल की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में अवगत कराया गया कि वर्तमान मे प्रचलित किसी भी वाद मे शासन को सीधे पक्षकार नहीं बनाया गया है, परामर्शी विधि द्वारा उक्त की पुष्टि करते हुये यह भी अवगत कराया की जिन वादों में उत्तर प्रदेश सरकार जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से पक्षधर है, उनमें जिलाधिकारी को पत्र भेज कर उनसे प्रकरण पर बिन्दुवार आख्या प्राप्त की जाती है, एवं मुख्यालय पर उपलब्ध अभिलेखों से मिलान करते हुये माननीय न्यायालय में प्रतिशपथ पत्र प्रस्तुत किया जाता है।

अन्य एजेण्डा बिन्दु–1 एवं 2

आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे परियोजना' तथा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना से आच्छादित जनपदों में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने हेतु लैण्ड बैंक उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुमानित भूमि मूल्य के सम्बन्ध में उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निदेशक मण्डल के सदस्यों को लैण्ड बैंक हेतु भूमि क्रय के प्रस्ताव से अवगत कराया गया। उपरोक्त एजेण्डा बिन्दुओं पर चर्चा करते हुये अध्यक्ष महोदय द्वारा अवगत कराया कि उद्योग विभाग ने आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दोनो ओर लगभग 2,000 एकड एवं लगभग 5,000 एकड भूमि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर चिन्हित करने एवं धनराशि की शासन से माँग के लिये कहा है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 5,000 हे0 भूमि का अनुमानित मूल्य 7,500 करोड़ होगा एवं आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 2,000 हे0 एक्सप्रेसवे के दोनो तरफ कुल 4,000 हे0 भूमि क्रय की जानी है, जिस पर अनुमानित रूपया 4,000 करोड़ की आवश्यकता होगी।

कार्यवाही/निर्णयः– इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेशक मण्डल के सहमति से यह प्रस्ताव अनुमोदित किया गया, कि भूमि क्रय हेतु धनराशि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव शासन को प्रेषित कर दिया जाए यदि शासन द्वारा धनराशि उपलब्ध करा दी जाती है, तो लैण्ड बैंक के लिये उक्त प्रस्तावित भूमि क्रय कर ली जायेगी। निदेशक मण्डल द्वारा सर्वसहमति से प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई।

अन्य एजेण्डा बिन्दु–3

अध्यक्ष महोदय के अनुमति से अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु–3 के सम्बन्ध में विशेष कार्याधिकारी, वन द्वारा निदेशक मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया गया कि आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना'' हेतु जनपद आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर नगर, उन्नाव तथा लखनऊ की 14.5543 हे0 संरक्षित वन भूमि व 109.2710 हे0 आरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल 123.8253 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 65342 वृक्षों के पातन की दी गयी अनुमति सम्बन्धी शासनादेश संख्या 428/14–2–2017–800(111)/2015 दिनांक 19.09.2017 की शर्त संख्या–19 में वर्णित वर्तमान बाजार दर पर जिलाधिकारी से मूल्य निश्चित कराकर मूल्य के बराबर प्रीमिएम एवं प्रीमिएम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेन्ट के भुगतान के का प्राविधान हे प्राविधान से छूट दिये जाने के सम्बन्ध में निम्न प्रस्ताव विचारणीय है।

आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे ग्रीन फील्ड योजना हेतु जनपद आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर नगर, उन्नाव तथा लखनऊ की 14.5543 हे0 संरक्षित वन भूमि व 109.2710 हे0 आरक्षित वन भूमि अर्थात कुल 123.8253 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 65342 वृक्षों के पातन की अनुमति शासनादेश संख्या 428/14–2–2017–800(111)/2015,दिनांक– 19.09.2017 द्वारा भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त शर्तो/प्रतिबन्धो एवं माननीय न्यायालय के आदेशों के दृष्टिगत प्रदान की गयी है।

उक्त शासनादेश दिनांक 19.09.2017 की शर्त सख्या 19, 20 तथा 21 निम्नवत् है–

(क) "(19) प्रस्तावित आरक्षित वन भूमि का वर्तमान बाजार दर पर जिलाधिकारी से मूल्य निश्चित कराकर मूल्य के बराबर प्रीमिएम एवं प्रीमिएम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेन्ट लेकर पट्टाधारक को वन भूमि का कब्जा दिया जायेगा।

(ख) "(20) प्रस्तावित 109.2710 हे0 आरक्षित वन भूमि हेतु पट्टाधारक द्वारा उक्त शर्तों एवं अन्य सामान्य शर्तो को सम्मिलित करते हुये एक पट्टाविलेख का आलेख्य प्रस्तुत किया जायेगा, जिसे शासकीय हस्तान्तरक से विधीक्षित करवाया जायेगा। ऐसे पट्टाविलेख के विधीक्षण हेतु न्याय कन्वेसिंग कोष्ठक के शासनादेश संख्या–198/7 जीसी–90–3–89, दिनांक क 19.06.1989 के अनुसार निर्धारित विधीक्षण शुल्क विलेख विधीक्षण से पूर्व लेखा शीर्षक–0070– अन्य प्रशासनिक सेवायें–01–न्याय प्रशासन–501 सेवायें और फीस–01 की गयी सेवाओं के लिए भुगतान की उगाही के अन्तर्गत ट्रेजरी चालान की प्रति पट्टाविलेख के आलेख्य के साथ उपलब्ध करायी जायेगी।

(ग) "(21) प्रस्तावित आरक्षित वन भूमि प्रथम बार 25 वर्षो के लीज पर दी जायेगी, जो वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत नवीनीकरण के पश्चात पुनः समय–समय पर बढ़ाया जायेगा।"

2. उक्त शासनादेश दिनांक 19.09.2017 की शर्त संख्या–19 के दृष्टिगत आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे के संरेखण में आने वाली आरक्षित वन भूमि, जिलाधिकारियों के सर्किल रेट के आधार पर प्रीमियम की धनराशि रू0 40201ण्240 तथा वार्षिक लीज रेन्ट की धनराशि (प्रीमियम का 10ः) रू0 4020ण्124 आंकलित की गयी है। इस प्रकार आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे के संरेखण मे आने वाली 109.2710 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोजन हेतु शर्त संख्या–19 के अनुसार रू0 402,01,24,000.00 (रूपये चार सौ दो करोड़ एक लाख चौबीस हजार) भूमि के प्रीमियम के रूप में तथा प्रति वर्ष रू0 40,20,12,400.00 (रूपये चालीस करोड़ बीस लाख बारह हजार चार सौ) भूमि के लीज रेन्ट के रूप में जमा करना होगा।
आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का निर्माण जनहित में औद्योगिक विकास हेतु लोगो के आवागमन को सुलभ बनाने, रोजगार सृजित करने व अन्य जन उपयोगी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु किया गया है।यूपीडा द्वारा पूर्व में ही प्रश्नगत एक्सप्रेसवे के निर्माण में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य 124.406 हे0 गैर वन भूमि वन विभाग को उपलब्ध करायी जा चुकी है जिसका अमलदरामद भी वन विभाग उ0प्र0 के पक्ष में हो चुका है। अतः प्रश्नगत वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग हेतु शर्त संख्या–19 के अनुसार भूमि के प्रीमियम के रूप में रू0 402,01,24,000.00 तथा भूमि के लीज रेन्ट के रूप में प्रति वर्ष रू0 40,20,12,400.00 का भुगतान किये जाने पर उ0प्र0 एक्सप्रेसवे इण्डस्ट्रियल डेवलेपमेन्ट अॅथारिटी (यूपीडा) के ऊपर अत्यधिक व्ययभार आयेगा और जनहित में उपलब्ध कराये जाने वाली सुविधाएं प्रभावित होगीं।

चूँकि उ0प्र0 एक्सप्रेसवे इण्डस्ट्रियल डेवलेपमेन्ट अॅथारिटी (यूपीडा) भी एक सेवा विभाग है, अतः इसे वन विभाग एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिसे कार्यालय ज्ञाप संख्या–50/14–2–2013 दिनांक 09.01.2013 के द्वारा बाजार दर पर मूल्य (प्रीमियम) व उसके 10 प्रतिशत धनराशि के बराबर वार्षिक लीज रेन्ट के भुगतान के प्राविधान से छूट प्रदान की गयी है, को आरक्षित वन भूमि का हस्तांतरण निःशुल्क किये जाने की महती आवश्यकता है।

अवगत कराना है कि वन (संरक्षण) अधिनियम–1980 की धारा–2 के अनुसार वन भूमि पर किसी भी प्रकार का गैर वानिकी कार्य भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की बिना पूर्वानुमति के नही किया जा सकता है। इन मामलों में भारत सरकार से उक्त अधिनियम के तहत वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग करने की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग के आदेश जारी किये जाने के सम्बन्ध मे कार्यालय–ज्ञाप संख्या–मं0–666/14–2–600(51)/1999 दिनांक 19.07.1999 के प्रस्तर–1 में प्राविधानित व्यवस्था निम्नवत् हैः–

(क)–चूँकि वन विभाग स्वयं एक सेवा विभाग है, अतः किसी दूसरे सेवा विभागों को वनभूमि का हस्तान्तरण वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या ए–2–75/दस–77/14(4)/74, दिनांक– 03.02.1977 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुसार वनभूमि निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने के आदेश मा0 वन मंत्री जी के अनुमोदन के उपरान्त जारी किये जाते हैं। ऐसे मामलों में वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नही होती है।

(ख)–प्रदेश सरकार के विभिन्न गैर सेवा विभागों (वाणिज्यिक विभाग) एवं भारत सरकार के विभागों को वनभूमि का हस्तान्तरण वर्तमान बाजार दर पर मूल्य प्राप्त करके किया जाता है और आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जाते है।

(ग)–प्रदेश सरकार के विभिन्न उपक्रमों (यथा–उ0प्र0 वन निगम, उ0प्र0रा0अधि0प0आदि) तथा भारत सरकार के विभिन्न उपक्रमों (यथा–एन0टी0पी0सी0,एन0 एच0पी0सी0 एवं पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इण्डिया आदि) एवं विभिन्न गैर सरकारी संस्थानों को वनभूमि का हस्तान्तरण वन विभाग द्वारा जारी शासनादेश, दिनांक 02.07.1979 के अनुसार वर्तमान बाजार दर पर मूल्य (प्रीमियम) व उसके 10 प्रतिशत धनराशि के बराबर वार्षिक लीज रेन्ट के भुगतान के आधार पर किया जाता है तथा आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जाते है।

उक्त स्थिति में, शासनादेश संख्या–428/14–2–2017–800(111)/2015, दिनांक.19.09.2017 के प्रस्तर–19 के अनुसार बाजार दर पर जिलाधिकारी से मूल्य निश्चित कराकर मूल्य के बराबर (प्रीमियम) व उसके 10 प्रतिशत धनराशि के बराबर वार्षिक लीज रेन्ट के भुगतान के प्राविधान से छूट प्रदान करने हेतु मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत कर अनुमोदन प्राप्त करने हेतु निदेशक मंडल की सहमति वांछित है।

कार्यवाही/निर्णयः– अध्यक्ष महोदय द्वारा इस सम्बन्ध में निर्देशक मण्डल के सदस्यों से चर्चा की गयी और ये तथ्य प्रकाश में लाया गया कि एक्सप्रेसवे निर्माण हेतु ऋण लेकर कार्य किया जा रहा है। अतः यदि ये भुगतान किया जाना है तो इसे ऋण की राशि से ही किया जा सकेगा। इस प्रकार राजकीय विभाग से ऋण लेकर अन्य राजकीय विभाग में शुल्क के रूप में इतनी बड़ी धनराशि जमा किया जाना औचित्तपूर्ण प्रतीत नही होता है। अतः सर्व सम्मति से निर्णय हुआ कि शासन के एक सेवा विभाग से शासन के ही दूसरे सेवा विभाग में इतनी बड़ी धनराशि जमा करने के सम्बन्ध में लगाई गई शर्त से छूट प्राप्त करने हेतु इस प्रकरण को औद्योगिक विकास विभाग/वन विभाग के माध्यम से मा0 मंत्रिपरिषद का अनुमोदन लेने हेतु प्रेषित किया जाना उचित होगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेशक मण्डल को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की भूमि क्रय की अद्यतन प्रगति से अवगत कराया गया कि अबतक 72.35 प्रतिशत भूमि क्रय की जा चुकी है एवं हडकों से ऋण के सम्बन्ध में सुझाव दिया कि कैबिनेट की स्वीकृति प्राप्त होते है ऋण जारी करने की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण की जाए। निदेशक मण्डल को यह भी अवगत कराया कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु आज बैंकों के साथ बैठक की गई जिसमे 12 बैंकों ने रूपया 16,500 करोड़ का ऋण देने के लिये प्रस्ताव दिया है, इस ऋण पर ब्याज दर 8.5 प्रतिशत के लगभग होगी एवं पूर्व मे हडको द्वारा आगरा–लखनऊ हेतु लिये गये ऋण रूपया 1530 करोड को स्वीच ओवर करने पर 2 प्रतिशत का लाभ होगा एवं यदि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिये ऋण की आवश्यकता हुई हडको से पूर्व निर्धारित सीमा तक ऋण प्राप्त किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में यह प्रस्ताव भी है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिये रूपया 10,000 करोड़ का ऋण का प्रस्ताव भी रखे एवं रूपया 3,000 करोड़ शासन से प्राप्त कर लें। जिससे वित्त भी सहमत होगा एवं इस बैठक की कार्यवृत्त भी इस बैठक के साथ साझा की जा रही है, यह भी निदेशक मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया गया कि लगभग 23 दिनों मे 25 लाख 512 वाहन एक्सप्रेसवे पर चले है, जिसमे केवल 21.10.2017 को 25,953 वाहन एवं 23.10.2017 को 35,561 वाहनो द्वारा एक्सप्रेसवे का प्रयोग किया गया है, औसत रूप से 8 से 10 हजार वाहन प्रतिदिन एक्सप्रेसवे का प्रयोग कर रहें है। इस सम्बन्ध में यदि टोल इम्प्लीमेंट हो जाता है, तो कार्य तेजी से होगा, एवं उद्योग विभाग से अनुरोध किया, कि टोल के प्रस्ताव पर शीघ्र कार्यवाही पूर्ण कराये। निदेशक मण्डल के प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास के प्रतिनिधि संयुक्त सचिव, श्री यादव द्वारा सड़क सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के सम्बन्ध में अनुरोध किया गया कि पेट्रोलियम कार्य हेतु 10 वाहन एवं गार्ड लगाए गये है, पुलिस बूथ का निर्माण कराया जा रहा है एवं डायल 100 से और गाड़िया लगाये जाने का अनुरोध किया गया है।

अंत में माननीय अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक सम्पन्न हुई।

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 25.10.2017 को सम्पन्न हुई 34वीं बैठक के उपरोक्त कार्यवृत्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा, पत्रावली में दिनांक 25 अक्टूबर, 2017 को अनुमोदित किये गये है।

(विश्वजीत राय)
उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी
यूपीडा, लखनऊ।